उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 03/2017/1989/92-2-2016-68जॉच/2016
लखनऊ :: दिनांक 02 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बाराबंकी में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम सरई बेलहरी, ग्राम जियनपुर एवं ग्राम सराय सलीम के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओ के फलस्वरूप मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जॉच आख्या के अनुसार रू0 58,256.00 की शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री बी0के0 दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–बाराबंकी सम्प्रति प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

संख्या-03/2017/1989(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0-जी-93/एस0टी0-सी0टी0ई0/2741/106/06/2016-17 दिनांक 26-10-2016 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/ मुख्य अभियंता, (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- श्री बृजेश कुमार दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बाराबंकी सम्प्रति-गाजीपुर द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in